International Journal of Home Science 2019; 5(2): 364-365

International Journal of Home Science

ISSN: 2395-7476
IJHS 2019; 5(2): 364-365
© 2019 IJHS
www.homesciencejournal.com
Received: 25-03-2019
Accepted: 27-04-2019

नीलम श्रीवास्तव
शोध छात्रा, महार्षि युनिवर्सिटी आफ इन्फारमेषन टेक्नालाजी लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

नीलमा कुँवर
प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

तृप्ति सिंह
विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान, आर0बी0एस0 कालेज, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत

Correspondence
नीलम श्रीवास्तव
शोध छात्रा, राम कृष्ण धर्माथ फाउण्डेशन विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

बालकों में बढ़ते अपराध एवं उनके निराकरण के प्रयास

नीलम श्रीवास्तव, नीलमा कुँवर, तृप्ति सिंह

सारांश
बाल अपराध कई शताब्दियों से हर समाज में पायी जाने वाली एक सार्वभौमिक समस्या है। अपराध, बालक में निहित जन्मात या अर्जित प्रवृत्तियों के आधार पर शारीरिक, मानसिक आर्थिक व सामाजिक आदि कारकों के द्वारा किया जाता है। किसी अपराधी के अनुसार अपने स्वतंत्र इच्छा की पूर्ति व सुख प्राप्ति के लिए वह अपराध करता है। कुछ अपराधी जन्मजात होते हैं और कुछ समाज द्वारा अपराध करने हेतु प्रेरित किए जाने के कारण अपराधी बनते हैं। बाल अपराधियों की उन शक्तियों की ओर बल देती है जो मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हैं। बाल अपराध की समस्या हर युगों में पायी गयी है। हर समाज में ऐसे बालक होते हैं जो अपेक्षित व्यवहार के दोषी होते हैं। यह एक सार्वभौमिक सामाजिक समस्या है।

कूट शब्द: अपराध, प्रयास

प्रस्तावना
बाल अपराध एक व्यक्तिगत समस्या है। व्यक्तिगत रूप से बालक का अध्ययन करने के उपरान्त ही हम बाल अपराध को समझ सकते हैं। बालक का व्यवहार प्रमुख मूल अवस्था से विपरीत होता है। अतः बालक के व्यक्तित्व में एक ऐसी अभिवृत्ति होती है जो सामाजिक नियमों को व कानूनों को तोड़ने की उसे प्रेरणा देती है। बाल अपराध को वैधानिक एवं सामाजिक दोनों रूपों से स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि बाल अपराध के अन्तर्गत एक स्थान विशेष के कानून द्वारा निश्चित की गयी आयु सीमा के बालकों को सम्मिलित किया गया है जो न केवल कानून विरोधी कार्य करने के दोषी होते हैं, बल्कि समाज द्वारा मान्य व्यवहार की सीमा से भी परे होते हैं। एक बाल अपराधी वह है जो आदतन रूप से कानूनों का उल्लंघन करता है, माता–पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, जो अनियंत्रित और आज्ञा न मानने वाला होता है, जो स्कूल व घर दोनों से आदतन रूप से भागता है, दूसरों को नुकसान पहुँचाता है, जो लोगों की नैतिकता, स्वास्थ्य व कल्याण को भी नुकसान पहुँचाता है।

अध्ययन के उद्देश्य
1. बाल अपचारियों के परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. बाल अपचार करने के कारणों का अध्ययन करना तथा निराकरण हेतु कारगर उपायों की खोज करना।

अध्ययन पद्धति
अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश के दो जिले लखनऊ एवं मेरठ का चयन किया गया है। लखनऊ एवं मेरठ में स्थित दो बाल सुधार गृहों में से 100–100 बाल अपचारियों को चुना गया है। इस प्रकार कुल 200 बाल अपचारियों पर अध्ययन किया गया है। अध्ययन पद्धति में सांख्यिकीय उपकरण मध्यमान एवं प्रामाणिक विचलन का इस्तेमाल किया गया है।

परिणाम

सारिणी 1: बाल अपचारियों की आयु एवं बाल अपराध की प्रकृति संख्या=200

आयु	बाल अपचार की प्रकृति					योग
	चोरी	छेड़खानी	अपहरण	हथियार रखना	अन्य लड़ाई मारपीट	
7–10	11 (44.0)	4 (16.0)	1 (4.0)	4 (16.0)	5 (20.0)	25 (100.0)
11–14	29 (43.3)	11 (16.4)	4 (5.9)	12 (17.9)	11 (16.4)	67 (100.0)
15–18	46 (42.6)	17 (15.7)	5 (4.5)	20 (18.5)	20 (18.5)	108 (100.0)
योग	86 (43.0)	32 (16.0)	10 (5.0)	36 (18.0)	36 (18.0)	200 (100.0)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में हैं) सभी आयु वर्ग के बाल अपचारी सर्वाधिक रूप से चोरी के अपराध से ग्रसित हैं।

सारिणी 2: बाल अपचारियों के लिए जिम्मेदार कारक संख्या=200

जिम्मेदार कारक	आवृत्ति	प्रतिशत
परिवार	160	80.0
दोस्त	25	12.5
परिस्थितियां	15	7.5
योग	200	100.0

परिवार को ही बहुसंख्यक बाल अपचारी अपराध के लिए प्रभावित करता है। पारिवारिक परिस्थितियां ही बालक को अपराध के लिए प्रेरित करती हैं।

तालिका 3: बाल अपचारियों द्वारा अपचार करने के कारण के आधार का तुलनात्मक अध्ययन संख्या=200

अपचार करने का कारण	संप्रेक्षण गृह		योग	
	लखनऊ	मेरठ	आवृत्ति	प्रतिशत
पारिवारिक	23	14	37	18.5
आर्थिक	70	84	154	77.0
सामाजिक	7	2	9	4.5
कुल	100	100.0	200	100.0

बाल अपचार के पीछे सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है। आर्थिक कठिनाइयां – अपचार हेतु बहुत अधिक उत्तरदायी होती है। टूटे परिवार से आने वाले बच्चे ही अधिक मात्रा में अपचारी बनते हैं। बाल अपचार का दूसरा प्रमुख कारण है पारिवारिक परिस्थितियां हैं।

तालिका 4: सुधार गृह के अधिकारी एवं कर्मचारियों का बाल अपचारी के प्रति व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन संख्या=200

व्यवहार	संप्रेक्षण गृह		योग	
	लखनऊ	मेरठ	आवृत्ति	प्रतिशत
अच्छा	100	100	200	100.0
बुरा	0	0	0	0
ठीक–ठाक	0	0	0	0
कुल	100	100.0	200	100.0

संस्था में आपने के बाद बालक का अधिकांश समय संस्था में ही बीतता है तथा बालक की मानसिक स्थिति पर सुधार गृह के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के व्यवहार का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सुधार गृह में अधिकारी एवं कर्मचारियों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए जिससे उनके अन्दर अपराध की प्रवृत्ति खत्म हो जाये।

तालिका 5: सुधार गृह में बाल अपचारियों को दिए जाने वाले व्यवसायिक प्रशिक्षण का तुलनात्मक अध्ययन संख्या=200

दिए गए व्यवसायिक प्रशिक्षण	संप्रेक्षण गृह		योग	
	लखनऊ	मेरठ	आवृत्ति	प्रतिशत
पेन्टिग	17	12	29	14.5
सिलाई	31	16	47	23.5
खिलौने बनाना	29	42	71	35.5
सभी वस्तुएं सीखना	23	30	53	26.5
कुल	100	100.0	200	100.0

संस्था में सरकार द्वारा अन्य सुविधाओं के साथ–साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि बालक निरूद्ध अवधि के बाद जब बाहर आये तो वह आसानी से अपने पैरों पर खड़ा हो सके तथा समाज में अच्छी तरह से सामंजस्य स्थाति कर सके। अधिकतर बाल अपराधियों को वे प्रशिक्षण दिए जाते हैं जो कम अवधि में पूर्ण हो सकें तथा जिसका जीवन में सतुपयोग हो अर्थात जो कम पूँजी एवं कम जगह पर आसानी से शुरू हो सके।

तालिका 6: सुधार गृह में बाल अपचारियों की बाल मनोचिकित्सकों द्वारा काउंसलिंग की व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन संख्या=200

काउंसलिंग की व्यवस्था	संप्रेक्षण गृह		योग	
	लखनऊ	मेरठ	आवृत्ति	प्रतिशत
बाल मनोचिकित्सक द्वारा	100	0	100	50.0
नहीं है।	0	100	100	50.0
कुल	100	100.0	200	100.0

अनेक विद्वानों का मत है कि बालक के अपचार सम्बन्धी कारणों को जानने के पहले बालकों की मानसिक स्थिति को समझना आवश्यक होता है और इस कार्य को केवल एक कुशल बाल मनो–विश्लेषक ही कर सकता है। अतः सुधार गृहों में बाल मनोचिकित्सकों को भी रखा जाना चाहिए क्योंकि अपचार को जड़ से खत्म करने हेतु उसके जड़ तक पहुँचना आवश्यक होता है।

निष्कर्ष

इस शोध पत्र से निष्कर्ष यह निकलता है कि बालकों को प्रारम्भ से ही अनुशासन में रखा जाये। परिवार किसी भी बालक की प्रथम संस्कार पाठशाला होती है। वहीं से उसे ऐसे संस्कार अपने माता–पिता द्वारा मिलने चाहिए कि वह अपराध तो दूर समाज में अपने माता–पिता के संस्कारों की मिसाल पैदा करे। बालक बाल अपराध कभी करेंगे ही नहीं।

सुझाव

1. बाल अपचार को रोकने हेतु पुलिस को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। पुलिस को उन स्थानों पर शाम के समय पर गश्त करनी चाहिए जो अपराधिक गतिविधियों के अड्डे होते हैं।
2. बालकों को दिए जा रहे व्यवसायिक प्रशिक्षण सिर्फ खानापूर्ति नहीं होने चाहिए इन प्रशिक्षणों में बच्चों को ऐसे प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए जो वास्तव में रोजगार उन्मुखी हों।
3. नशीले पदार्थों एवं गुटके के सेवन एवं बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

संदर्भ

1. Hansraj. Theory and Practice in Social Research, Sujeet Publications, 1990.
2. Gangroad KD, Bhatia Joseph. Women and Child Works in the unorganized Centre, Concept Publisher, New Delhi.
3. Healy, Brober. Delinquency and criminals their making and unmaking, Milan Company, New York.